# नगरों/कस्बों के स्लम, परिवार तथा आजीविका के सर्वेक्षण तथा उनके प्रोफाइल को तैयार करने से संबंधित क्षेत्रीय स्टाफ के लिये प्रशिक्षण नियम–पुस्तिका/अनुदेश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

भारत सरकार

आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

# नगरों/कस्बों के स्लम, परिवार तथा आजीविका के सर्वेक्षण तथा उनके प्रोफाइल को तैयार करने से संबंधित क्षेत्रीय स्टाफ के लिये प्रशिक्षण नियम–पुस्तिका/अनुदेश

## 1. प्रस्तावना

2001 की जनगणना के अनुसार 1 लाख या उससे अधिक आबादी वाले सभी 394 श्रेणी 1 नगरों में स्लम/सामाजिक–आर्थिक सर्वेक्षण किये जाने हैं।

## 2. सामान्य अनुदेश

2.1 नगरपालिकाओं/शहरी स्थानीय निकायों के प्रभारी राज्य विभाग अथवा जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) (बीएसयूपी/आईएचएसडीपी) के लिये राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नगरों तथा कस्बों में स्लम/गरीबी/आजीविका सर्वेक्षण का समन्वय करेगी। यदि राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी शहरी स्थानीय निकायों से सम्बद्ध विभाग से भिन्न विभाग में स्थित है तो उस स्थिति में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को केन्द्रीय भूमिका सौंप कर एक समन्वय तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इस सर्वेक्षण के अधीन शामिल प्रत्येक नगर/कस्बा एक नोडल सैल (इस नोडल सैल के लिये शहरी समुदाय विकास विभागों से कार्मिक लिये जाएंगे) पदनामित करेगा। इस नोडल सैल का कार्य सर्वेक्षण करना होगा और इसमें पर्यावेक्षकों का एक दल होगा जो नगरपालिका आयुक्त/नगर/कस्बे के मुख्य कार्यकारी की अध्यक्षता में कार्य करेगा। शहरी स्थानीय निकाय में परियोजना कार्यान्वयन एकक (पीआईयू)/यूपीए सैल के अधीन नियुक्त संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन करने/सर्वेक्षणों का प्रशासन करने एवं पर्यवेक्षक दल को तकनीकी सहायता देने का कार्य सौंपा जाएगा। केन्द्रीय स्तर पर निदेशक (एनबीओ) देशभर में तीन सर्वेक्षणों के आयोजन हेतु प्रमुख कार्यभारी अधिकारी होंगे। राज्य स्तर पर संबंधित नोडल एजेंसी/विभाग एक वरिष्ठ अधिकारी का चयन करेगा जिसका कार्य निदेशक (एनबीओ) के साथ समन्वय करना एवं राज्य में सर्वेक्षणों के आयोजन का मार्गदर्शन करना, सर्वेक्षण सूचना का संचालन करना और अपेक्षित ब्यौरे भारत सरकार को भेजने के बीच समन्वय करना होगा। नगरपालिका आयुक्त/नगर का मुख्य कार्यकारी नगर/कस्बे स्तर पर किये जाने वाले वास्तविक सर्वेक्षणों के लिये उत्तरदायी होगा।

2.2 सर्वेक्षण भागेदारी स्वरूप के होंगे जिनमें एनएचजी (पास–पडोस के ग्रुप), एनएचसी (पास–पडोस की समितियां) तथा प्रतिष्ठित एनजीओ (गैर सरकारी संगठन) जैसे क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संस्थाएं शामिल होंगी।

2.3. प्रत्येक पर्यवेक्षक आबादी और सर्वेक्षण के लिये शामिल क्षेत्र के अनुसार 5 से 10 जांचकर्त्ताओं/सर्वेक्षकों के दल का मुखिया होगा। पर्यवेक्षक समय–सीमा के पालन हेतु उत्तरदायी होगा और वह समय–समय पर औचक निरीक्षण हेतु क्षेत्र में जाएगा। पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि वह जांचकर्त्ताओं द्वारा एकत्र सूचना की जांच करे तथा यदि आवश्यक हो तो उसे दुरूस्त करे। पर्यवेक्षण द्वारा वैट/अनुमोदित किये जाने पर नगरपालिका प्राधिकरण में पीआईयू/यूपीए सैल/नोडल सैल अनुसूची में दर्ज सूचना का संकलन करेगा।

## व्याप्ति :

- स्लम/स्लमों वाले प्रत्येक शहरी ब्लॉक के लिये अनुसूची का प्रचार किया जाना है।

- पूरे नगर/कस्बे में पाये गये प्रत्येक स्लम (चाहे वह अधिसूचित या गैर–अधिसूचित क्यों न हो) के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी। राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकाय द्वारा की गई पहचान के अनुसार स्लम को अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित स्लम माना जाएगा और तदनुसार अनुसूची का प्रचार किया जाएगा।

## अनुसूची की संरचना

सर्वेक्षण के दौरान जांच के निम्नलिखित अनुसूचियों का प्रचार किया जाएगा :

भाग क : नगर/कस्बे के संबंध में सामान्य सूचना
भाग ख : शहरी स्थानीय निकाय का स्लम प्रोफाइल
भाग ग : सर्वेक्षण संबंधी कार्यों का ब्यौरा

अनुबंध–I : विस्तृत स्लम सर्वेक्षण
अनुबंध–II : विस्तृत परिवार सर्वेक्षण
अनुबंध–III: विस्तृत आजीविका उपार्जन सर्वेक्षण

## भाग–क

अनुसूची के भाग–क में सर्वेक्षण के अधीन शामिल किये गये नगर/कस्बे के संबंध में सामान्य सूचना शामिल होगी। अनुसूची का भाग–क नगरपालिका प्राधिकरण में कार्यरत नोडल सैल द्वारा भरा जाएगा। इस भाग में निम्नलिखित सूचना एकत्र की जाएगी :

**ब्लॉक–ι**

| **मद सं0 5** | **मद का नाम** | **प्रचार की जाने वाली मद के संबंध में अनुदेश** |
|---|---|---|
| 1 (क) | राज्य कोड | जनगणना 2001 के अनुसार कोड अपनाया जाना होगा |
| (ख) | राज्य का नाम | यह मद स्वतः स्पष्ट है |
| 2 (क) | जिला कोड | जिला कोड वही होगा जिसका उपयोग उस जिले के लिये जनगणना 2001 में किया गया था जिसमें नगर स्थित है |
| 2 (ख) | जिले का नाम | यह मद स्वतः स्पष्ट है |
| 3 (क) | नगर/कस्बा कोड | नगर/कस्बा कोड वही होगा जिसका उपयोग जनगणना कोड 2001 में किया गया था |
| 4 (क) | नगर/कस्बा जनसंख्या | जनगणना 2001 के अनुसार नगर/कस्बे की जनसंख्या का उल्लेख करें |
| 4 (ख) | नगर/कस्बे में परिवारों की संख्या | जनगणना 2001 के अनुसार नगर/कस्बे में परिवारों की संख्या का उल्लेख करें |

## भाग–ख

इस अध्याय में भाग–ख को भरने हेतु विस्तृत अनुदेश दिये गये हैं। इस भाग के संबंध में विशिष्ट अवधारणाओं का इस अध्याय में जहां कहीं आवश्यक है विस्तार से खुलासा किया गया है और विशिष्ट मदों के संबंध में अनुदेश दिये गये हैं।

अनुसूची के भाग–ख में नगर/कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय में स्थित सभी स्लमों की सामान्य सूचना शामिल है। सर्वेक्षण के अधीन नगर/कस्बे में पाये गये अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित प्रत्येक स्लम के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में सर्वेक्षण करने के लिये शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत नोडल सैल द्वारा सूचना भरी जाएगी।

**ब्लॉक : ϖ**

| **मद** | **मद के प्रचार हेतु अनुदेश** |
|---|---|
| प्रथम कॉलम (क्र.सं.) | जहां किसी नगर/कस्बे में एक से अधिक स्लम हैं वहां प्रत्येक स्लम को क्र.सं. दी जाएगी। जिस स्लम के लिये कॉलम 2 से 8 में सूचना एकत्र की जा रही है उसकी क्र. सं. दर्ज की जानी है। क्र.सं. से संबंधित प्रत्येक लाइन संबंधित स्लम के ब्यौरे दर्ज करने के लिये है। |
| द्वितीय कॉलम | यह मद स्वतः स्पष्ट है। |
| तृतीय कॉलम | जहां स्लम स्थित है उस भूमि के स्वामित्व का उल्लेख कोड में इस मद के सामने किया जाएगा। कोड इस प्रकार हैं :<br><br>**सार्वजनिक :** स्थानीय निकाय–01, राज्य सरकार–02, केन्द्र सरकार–03, निजी–04, अन्य–05<br><br>**टिप्पणी :** |

| | |
|---|---|
| | • 'अन्य' के अंतर्गत ऐसी सभी अन्य प्रकार की भू–सम्पत्तियां शामिल होंगी जो उपर्युक्त किसी भी कोड (01–04) में नहीं आती हैं।<br>• स्लम के अधीन भूमि के समान क्षेत्रों का स्वामित्व यदि अलग–अलग एजेंसियों के पास है तो कोड का संबंध उस भूमि से होगा जिसमें स्लम के अधिकतर परिवार रहते हैं।<br>• यदि एक से अधिक मालिक है तो स्लम के अधिकांश क्षेत्र पर लागू होने वाला कोड रिकार्ड किया जाएगा। |
| चतुर्थ कॉलम (वर्ग किमी. में क्षेत्रफल) | शहरी स्थानीय निकाय के रिकार्डों से स्लम का अनुमानित वर्ग किमी. क्षेत्र इस कॉलम में दर्ज किया जाएगा। |
| पंचम कॉलम (स्लम आबादी) | शहरी स्थानीय निकाय के अनुसार अद्यतन आंकडों के आधार पर स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या दर्ज की जाएगी और स्थानीय जांच से इसका सुनिश्चय/प्रतिजांच की जाएगी। |
| षष्ठम कॉलम (स्लम परिवारों की संख्या) | स्थानीय जांच से पता लगाये गये अनुसार स्लम में रहने वाले परिवारों की संख्या इस मद में दर्ज की जाएगी। |
| सप्तम कॉलम (बीपीएल आबादी) | शहरी स्थानीय निकाय के अद्यतन रिकार्ड के अनुसार स्लम में रह रहे ऐसे लोगों की संख्या बताई जाएगी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। |
| अष्ठम कॉलम (बीपीएल परिवारों की संख्या) | शहरी स्थानीय निकाय के अद्यतन रिकार्ड के अनुसार स्लम में रह रहे बीपीएल परिवारों की संख्या भरी जाएगी। |

**मद संख्या 6 :** प्रत्येक स्लम की अवस्थिति सहित नगर/कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय का एक स्कैच नक्शा बनाया जाएगा जिसमें सर्वेक्षण के अधीन स्लमों की अवस्थिति और उनके नामों का उल्लेख होगा। अधिसूचित स्लमों को हरे रंग में तथा गैर–अधिसूचित स्लमों को लाल रंग में दिखाया जाएगा।

## भाग–ग

### ब्लॉक ‖‖ सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा

अनुसूची के भाग–ग में सर्वेक्षण कार्यों का ब्यौरा शामिल होगा। सर्वेक्षण की तारीख में संबंधित कर्मचारी का नाम क्षेत्रीय स्टाफ तथा पर्यवेक्षक की टिप्पणी यहां दर्ज की जाएगी।

| मद संख्या और मद का नाम | मद के प्रचार हेतु अनुदेश |
|---|---|
| **7 : नाम** | प्रत्येक स्लम के सर्वेक्षण का कार्य करने वाले जांचकर्ता/सर्वेक्षक तथा पर्यवेक्षक का नाम दर्ज किया जाएगा। यदि एक से अधिक जांचकर्ता/सर्वेक्षक तथा पर्यवेक्षक सर्वेक्षण कर रहे हैं तो प्रत्येक जांचकर्ता/सर्वेक्षक तथा पर्यवेक्षक का नाम दर्ज किया जाएगा। |
| **8 : निम्नलिखित की तारीख (तारीखें)**<br>(क) सर्वेक्षण<br>(ख) प्रश्नावली की प्राप्ति<br>(ग) जांच<br>(घ) शहरी स्थानीय निकाय में कार्यरत नोडल सैल द्वारा प्राप्ति | यह मद स्वतः स्पष्ट है। |
| **9 : हस्ताक्षर** | जांचकर्ता/सर्वेक्षक तथा पर्यवेक्षक दोनों ही अपने यहां हस्ताक्षर करेंगे। |

| | |
|---|---|
| **10 : जांचकर्ता/पर्यवेक्षक की टिप्पणी** | स्लम सर्वेक्षण के दौरान देखी गई विशिष्ट बातों और/अथवा आंकडे एकत्रित करने में पेश आई समस्याओं के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली टिप्पणी जांचकर्ता द्वारा इस ब्लॉक में रिकार्ड की जाएंगी। यदि जांचकर्ता यह महसूस करता है कि सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई कुछ सूचना संदेहजनक स्वरूप की है तो उसका उल्लेख टिप्पणी यदि कोई हो, सहित किया जाएगा। अन्य कोई टिप्पणी जिससे कार्यक्रम में की गई प्रविष्टियों का उचित मूल्यांकन करने में सहायता मिलती हो, यहां दर्ज की जाएंगी। इन टिप्पणियों से डाटा प्रोसेसिंग स्तर पर अनुसूची प्रविष्टियों को समझने तथा उनकी प्रतिजांच करने में सहायता मिलेगी। |
| **11 : पर्यवेक्षक की टिप्पणी** | पर्यवेक्षक को चाहिये कि वह इस कार्यक्रम में जांच के अधीन विशेषताओं से संबंधित किसी भी पहलू पर और/अथवा जांचकर्ता/सर्वेक्षक द्वारा प्रचारित कार्यक्रम में पाई गई किसी विशिष्टता के संबंध में अपने विचार/टिप्पणियां दर्ज करे। उन्हें चाहिये कि वे जांचकर्ता/सर्वेक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर भी अपने विचार दें अथवा उनकी पुष्टि करें। |

# अनुबंध–प
# (विस्तृत स्लम सर्वेक्षण)

नगर/कस्बे/शहरी स्थानीय निकाय की सीमाओं के भीतर स्थित अधिसूचित अथवा गैर–अधिसूचित प्रत्येक स्लम के बारे में सूचना अनुबंध–। के जरिये एकत्र की जाएगी। यह अनुसूची स्लम विशेष के संबंध में कुछ वृहत सूचना दर्ज करने के लिये है। अनुबंध–। निम्नलिखित 11 ब्लॉकों में सूचना एकत्र करने के लिये तैयार किया गया है :

| | |
|---|---|
| ब्लॉक प रू | स्लम के संबंध में बुनियादी सूचना |
| ब्लॉक पप रू | भूमि की स्थिति |
| ब्लॉक पपप रू | जनसांख्यिकीय ब्यौरा |
| ब्लॉक पट रू | आवासीय स्थिति |
| ब्लॉक ट रू | आर्थिक स्थिति |
| ब्लॉक टप रू | रोजगार संबंधी स्थिति |
| ब्लॉक टपप रू | भौतिक अवस्थापना की उपलब्धता |
| ब्लॉक टपपप रू | शैक्षिक सुविधाएं |
| ब्लॉक पग रू | स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं |
| ब्लॉक ग रू | सामाजिक विकास/स्लमों को उपलब्ध कल्याण सुविधाएं |
| ब्लॉक गप रू | अतिरिक्त अवसंरचना की आवश्यकता |

इस अनुसूची का प्रचार सर्वेक्षण के अधीन नगर/कस्बे विशेष में स्थित प्रत्येक स्लम के लिये किया जाना है। इस प्रकार यह अनुसूची शहरी क्षेत्र में ही प्रचारित की जाएगी। जिस स्लम का सर्वेक्षण किया जाना है उसका नक्शा प्रचारित अनुसूची के साथ लगाया जाएगा। यह नक्शा आसानी से पहचान किये जाने के लिये स्पष्ट सीमाओं के उल्लेख के साथ मद 6 भाग–ख में बनाये गये नक्शे से मेल खाता हो।

**ब्लॉक ८ : स्लम के संबंध में बुनियादी सूचना**

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 1 | स्लम का नाम | स्लम का स्थानीय नाम यहां लिखा जाना है। |
| 1 क | स्लम कोड | शहरी स्थानीय निकाय द्वारा तीन अंकों का कोड बनाया जाना है। इस कोड का इस्तेमाल स्लम की पहचान के लिये किया जाएगा। |
| 2 | अवस्थिति–वार्ड संख्या नाम | पिन कोड सहित पूरे पते का उल्लेख किया जाना है। |
| 3 | स्लम कितने वर्ष से है | यह सूचना स्लम के वरिष्ठ निवासियों से एकत्र की जानी होगी ताकि स्लम कितने वर्ष से है इस बात का सुनिश्चय किया जा सके। इस सूचना को शहरी स्थानीय निकायों के रिकार्डों से भी मिलाना चाहिए। |
| 4 | स्लम का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) | स्लम का वर्ग मीटरों में क्षेत्रफल जांचकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाए और इस मद में दर्ज किया जाए। |
| 5 | क्या नगर/कस्बे के मुख्य अथवा फ्रिंज क्षेत्र में स्थित है | स्लम की अवस्थिति का अभिप्राय उस कस्बे के भाग से है जिसमें स्लम स्थित है। फ्रिंज क्षेत्र कस्बे का सीमावर्ती क्षेत्र है। इसे नीचे दिये गये कोडों/मदों का चयन करके भरा जाए : सीटी कोड/कस्बा/01, फ्रिंज क्षेत्र–02 |
| 6 | स्लम के आसपास के क्षेत्र की किस्म | स्लम के आसपास के क्षेत्र की किस्म इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। स्लम के आसपास के क्षेत्र का अभिप्राय उस क्षेत्र से है जो स्लम की अधिकांश सीमा के साथ लगा हुआ है। कोड इस प्रकार हैं :<br><br>आवासीय–01, औद्योगिक–02, वाणिज्य–03, सांस्थानिक–04, अन्य–49<br><br>टिप्पणी :<br>➢ अन्य में ऐसे सभी आसपास के क्षेत्र शामिल हैं जो उपर्युक्त किसी भी कोड (01 से 04) के अधीन नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| | | आते हैं।<br>➢ यदि स्लम के आसपास के क्षेत्र की किस्म 1 से अधिक हो तो स्लम के अधिकांश भाग पर लागू होने वाला कोड दर्ज किया जाएगा। |
| 7 | स्लम की भौतिक अवस्थिति | स्लम की भौतिक अवस्थिति इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। कोड इस प्रकार हैं :<br><br>नाले के साथ (वर्षा के पानी की निकासी वाला मुख्य नाला)–01, अन्य नालों के साथ–साथ–02, रेलवे लाइन के साथ–03, परिवहन अलाइमेंट के साथ–04, नदी/जलाशय के किनारे के साथ–05, नदी अथवा जलाशय के थाले में–06, अन्य (खतरनाक अथवा आपत्तिजनक)–07, अन्य (खतरे/आपत्तिरहित)–08<br><br>टिप्पणी :<br>➢ खतरनाक अथवा आपत्तिजनक वे क्षेत्र हैं जहां आग लगने, विस्फोट होने अथवा पर्यावरण संबंधी खतरे मौजूद हों और आवासीय प्रयोजनों के लिये उपयुक्त न हों। इनके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो खतरनाक हैं और जो कोड–01 से 06 में से किसी भी कोड के अंतर्गत नहीं आते हैं।<br>➢ खतरा/आपत्ति रहित क्षेत्रों के अंतर्गत ऐसे सभी आपत्ति रहित क्षेत्र आएंगे जो कोड 01 से 06 में से किसी भी कोड के अंतर्गत नहीं आते हैं। |
| 8 | क्या स्लम अधिसूचित अथवा घोषित है | इस बात का स्थानीय नगरपालिका अथवा अन्य उचित प्राधिकरणों से पता लगाया जाना होगा कि क्या स्लम अधिसूचित है अथवा नहीं। कोड–01 दर्ज किया जाएगा यदि स्लम अधिसूचित है : यदि नहीं तो कोड–02 दर्ज किया |

| | | |
|---|---|---|
| | | जाएगा। |
| 9 | यदि मद संख्या 8 में हां (01) में उत्तर है तो अधिसूचना की तारीख का उल्लेख करें | यदि स्लम अधिसूचित है तो उचित सरकारी एजेंसी अर्थात् नगरपालिका अथवा कोई अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना का वर्ष इस मद के सामने दर्ज किया जाएगा। इस कॉलम में दिये गये खानों में वर्ष के सभी चार अंकों का उल्लेख किया जाना है। यदि अधिसूचना के वर्ष की जानकारी नहीं है तो उसका पता उक्त सरकारी एजेंसी से लगाया जाएगा। |

**ब्लॉक II : भूमि की स्थिति**

| **मद सं0** | **मद का नाम** | **इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश** |
|---|---|---|
| 10 | उस भूमि का स्वामित्व जहां स्लम स्थित है | जिस भूमि पर स्लम स्थित है उसके स्वामित्व को निम्नलिखित कोड में इस मद के सामने दर्ज किया जाएगा। यदि एक से अधिक मालिक हैं तो वह कोड दर्ज किया जाएगा जो स्लम के अधिकांश क्षेत्र पर लागू होता हो।<br><br>**सरकारी** : स्थानीय निकाय–01, राज्य सरकार–02, रेलवे–03, रक्षा–04, हवाई अड्डा–05, रेलवे, रक्षा अथवा हवाई अड्डे से भिन्न भारत सरकार–06<br><br>**निजी** –07, अन्य–49, अज्ञात–99 |
| 11 | कृपया भूमि के स्वामित्व को स्पष्ट करें | भूमि के स्वामित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना होगा (भूमि किसकी है)। |

## ब्लॉक III : जनसांख्यिकीय ब्यौरा

## 12. आबादी एवं स्वास्थ्य देखरेख

इस मद के लिये सूचना नीचे लिखे अनुसार एकत्र की जाएगी। जैसे सर्वेक्षण के अधीन स्लम की कुल आबादी, बीपीएल आबादी, स्लम में परिवारों की संख्या, बीपीएल परिवारों की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या जिनमें महिलाएं मुखिया हों, 65 साल से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, कामगार बच्चों की संख्या, विकलांग व्यक्तियों की संख्या, मानसिक रोगियों की संख्या, एचआईवी–एड्स ग्रस्त व्यक्तियों की संख्या, तपैदिक के रोगियों की संख्या, अस्थमा सहित श्वास के रोगियों की संख्या एवं अन्य पुरानी बिमारियों से ग्रस्त रोगियों की संख्या। प्रत्येक मद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों (कुल आबादी में से) के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी। यह सूचना पालिका अधिकारियों की मदद से स्लमों में रह रहे किसी एक शिक्षित अथवा एक से अधिक शिक्षित व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी।

## 13. साक्षरता – शिक्षा

यह सूचना प्रत्येक मद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों (कुल आबादी में से) के संबंध में एकत्र की जाएगी। यह सूचना पालिका अधिकारियों की मदद से स्लमों में रह रहे किसी एक शिक्षित अथवा एक से अधिक शिक्षित व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी।

## 14. रिहायशी एकक का ढांचा

**पहली लाइन :** स्लम में मौजूद पक्के ढांचे वाले, अर्द्ध पक्के ढांचे वाले तथा कच्चे ढांचे वाले रिहायशी एककों की संख्या दर्ज की जाएगी।

**दूसरी लाइन :** कुल पक्के, कच्चे–पक्के तथा कच्चे रिहायशी एककों में से बिजली की सुविधा वाले पक्के, कच्चे–पक्के तथा कच्चे रिहायशी एककों की संख्या दर्ज की जाएगी।

यह सूचना पालिका अधिकारियों की मदद से स्लमों में रह रहे किसी एक शिक्षित अथवा एक से अधिक शिक्षित व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी।

टिप्पणी :

**रिहायशी एकक :** इसका अभिप्राय उस ढांचे से है जिसका उपयोग किसी परिवार द्वारा अपने रिहायश के लिये किया जा रहा है। यह समस्त ढांचा हो सकता है अथवा उसका कोई भाग हो सकता है अथवा उसमें एक से अधिक ढांचे हो सकते हैं। ऐसे भी मामले होते हैं जिनमें एक ही परिवार अपनी रिहायश के लिये एकाधिक ढांचों का उपयोग कर रहा हो। इस मामले में सभी ढांचों को मिलाकर एकल रिहायशी एकक होगा। रिहायशी एककों में सभी पक्के, कच्चे–पक्के तथा कच्चे रिहायशी ढांचे शामिल हैं जिनका उपयोग परिवार द्वारा किया जा रहा हो। जो परिवार आमतौर पर पुलों के नीचे, पाइपों में, सिढ़ियों के नीचे और पूरी तरह से सड़क के किनारे बने अस्थायी ढांचों (जिन्हें कभी भी हटाया जा सकता हो) आदि में रहने वाले परिवारों के बारे में यह समझा जाएगा कि उनके पास कोई रिहायशी एकक नहीं है।

**पक्का ढांचा :** पक्का ढांचा वह ढांचा है जिसकी दीवारें और छतें पक्की सामग्री जैसा कि सीमेंट, कंक्रीट, पक्की ईंटों, खोखली सीमेंट/ऐश ईंटों, पत्थरों, पत्थर के ब्लॉकों, जैक बोर्डों (सीमेंट से

प्लास्टर किये हुए), लोहे, जिंक अथवा अन्य धातु की चद्दरों, ईमारती लकड़ी, टायलों, स्लेट, नालीदार लोहे, ऐसबेस्टोज सीमेंट की चद्दरों, वीनीर, प्लाईवुड, सिंथेटिक सामग्री से बनी कृत्रिम लकड़ी, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सामग्री से बनी हुई हों।

**कच्चा ढांचा :** कच्चा ढांचा वह ढांचा है जिसकी दीवारें और छतें कच्ची सामग्री से बनी हों। कच्ची सामग्री में कच्ची ईंटें, बांस, गारा, घास–फूस, सरकण्डे, छप्पर आदि शामिल हैं।

**कच्चा–पक्का ढांचा :** कच्चा–पक्का ढांचा वह ढांचा है जिसे न तो पक्का और न ही कच्चा ढांचा कहा जा सकता है। ऐसे ढांचे की दीवार अथवा छत में से कोई एक पक्की सामग्री की बनी हुई होगी।

## 15. भूमि टेन्योर की स्थिति

ऐसे रिहायशी एककों की संख्या अनुसूची में विनिर्दिष्ट कॉलमों में दर्ज की जाएगी जो पट्टे पर हैं, जिनके पास कब्जा प्रमाण–पत्र / कब्जा अधिकार है, जो सरकारी भूमि को अतिक्रमित करके बनाए गये हैं, जो निजी भूमि को अतिक्रमित करके बनाये गये हैं, जो किराये पर हैं अथवा किसी अन्य प्रकार के हैं।

## ब्लॉक ट : परिवारों की आर्थिक स्थिति

मद संख्या 16 – यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न रेंजों में मासिक आय वाले परिवारों की संख्या एकत्र की जाएगी।

## ब्लॉक टप : परिवारों के रोजगार की स्थिति

मद संख्या 17 – इस शीर्ष के अधीन यथावर्गीकृत रोजगार की विभिन्न स्थिति वाले परिवारों की संख्या एकत्र की जाएगी।

## ब्लॉक टप्प : भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 18 क | पेयजल का स्रोत (परिवारों की संख्या) | पेयजल के विभिन्न स्रोतों (जैसाकि पहली लाइन में उल्लेख है) का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या दूसरी लाइन में दर्ज की जाएगी।<br><br>दूसरी लाइन में स्लम में पेयजल के स्रोतों (व्यक्तिगत नलों, सार्वजनिक नलों, ट्यूबवेलों, बोर वेलों, हैंडपम्पों की संख्या) की मौजूदा स्थिति और उल्लिखित कोड के अनुसार जल आपूर्ति की अवधि रिकार्ड की जाएगी। |
| 18 ख | पूरे नगर में जल आपूर्ति व्यवस्था की कनेक्टिविटी | क्या स्लम पूरे नगर की जल आपूर्ति ट्रैंक व्यवस्था से सम्बद्ध है या नहीं। इस बात को निम्नलिखित कोड के अनुसार रिकार्ड किया जाएगा : पूरी तरह से सम्बद्ध 01, आंशिक रूप से सम्बद्ध 02, सम्बद्ध नहीं 03 |
| 19 क | जल निकासी तथा सीवर सुविधा | ऐसे परिवारों की संख्या जिन्हें वर्षा जल निकासी नालियों, भूमिगत ड्रेनेज/सीवर लाइनों, डाइजेस्टर की सुविधा प्राप्त है, ऐसे परिवारों की संख्या जो सीवर अथवा डाइजेस्टर से सम्बद्ध नहीं हैं। इस जानकारी को इस मद के सामने दर्ज किया जाएगा। भूमिगत सीवर व्यवस्था में पानी की निकासी, गंदगी की निकासी के लिये भूमिगत पाइप तथा कंड्यूट्स होते हैं। |
| 19 ख | वर्षा जल निकासी व्यवस्था से पूरे नगर की कनेक्टिविटी | क्या स्लम पूरे नगर की वर्षा जल निकासी व्यवस्था से जुड़ा है। इस बात की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 19 ग | पूरे नगर की सीवर व्यवस्था की कनेक्टिविटी | क्या स्लम पूरे नगर की सीवर व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस बात की जानकारी कोड में दर्ज की |

| | | |
|---|---|---|
| | | जाएगी। |
| 19 घ | क्या वर्षा के कारण स्लम में बाढ़ आने की संभावना है। | इस सूचना को कोड में रिकार्ड किया जाएगा। |
| 20 | परिवार द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शौचालय सुविधाएं | विभिन्न प्रकार की शौचालय सुविधाओं का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या दर्ज की जाएगी। कुछेक क्षेत्रों में कुछ ऐसे शौचालय मिल सकते हैं जिनकी सफाई सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है। इन्हें सर्विस शौचालय कहा जाता है। भूमिगत सीवर व्यवस्था से जुड़े शौचालय को फ्लश सिस्टम शौचालय कहा जाता है। भूमिगत सेप्टिक चैम्बरों से जुड़े शौचालय को सैप्टिक टैंक शौचालय कहा जाता है। भूमि में किये गये गड्ढे से जुड़े शौचालय को पिट शौचालय कहा जाता है। |
| 21 | कूड़े–करकट का कितनी बार निपटान किया जाता है | कूड़े–करकट का कितनी बार निपटान किया जाता है इससे संबंधित सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 21 ख | कूड़े–करकट के निपटान की व्यवस्था | स्लम के लिये कूड़े–करकट के निपटान से संबंधित सूचना प्राप्त करके कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 21 ग | खुली नालियों को कब–कब साफ किया जाता है | खुली नालियों को कब–कब साफ किया जाता है इससे संबंधित सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 22 | स्लम को जाने वाली सड़क/लेन/निर्मित रास्ता | एप्रोच रोड का मतलब स्लम क्षेत्र को जाने वाली मुख्य सड़क से है। यदि एक से अधिक एप्रोच रोड हैं तो ऐसी कौनसी एप्रोच रोड हैं जिसका अधिकतर स्लमवासी उपयोग करते हैं। एप्रोच रोड या लेन के निर्माण की किस्म अथवा स्लम क्षेत्र में |

| | | |
|---|---|---|
| | | जाने के लिये निर्मित रास्ते से संबंधित सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। मोटरेबल रोड वह रोड है जो इतनी चौड़ी है कि वहां से मोटर–कार गुजर सकती है। |
| 23 | समीपतम मोटरेबल रोड से दूरी | नगर की समीपतम मुख्य सड़क से दूरी की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 24 | आंतरिक सड़क | यह सूचना उस रोड से संबंधित होगी जिसका इस्तेमाल स्लम वासियों द्वारा मुख्य आम रास्ते के रूप में किया जाता है। यह सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। यदि इस्तेमाल की जाने वाली सड़क का कुछ भाग पक्का है और शेष कच्चा है तो रोड की किस्म प्रत्येक किस्म की रोड से तय की गई दूरी को देखते हुए निर्धारित की जाएगी। |
| 25 | क्या स्लम में पथ–प्रकाश की सुविधा उपलब्ध है | क्या स्लम में पथ–प्रकाश की सुविधा उपलब्ध है या नहीं इस बात की जानकारी कोड में दर्ज की जाएगी। |

## ब्लॉक टप्प् और ब्लॉक प : शिक्षा सुविधाएं तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं

मद 26 से मद 31 : पूर्व प्राथमिक स्कूल, प्राथमिक स्कूल, उच्च स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र तथा स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की मौजूदगी/उनकी दूरी तथा उनकी संख्या से संबंधित सूचना कोड में दर्ज की जाएगी।

## ब्लॉक ग : सामाजिक विकास/कल्याण

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 32 | स्लम के भीतर सुविधाओं की उपलब्धता | सामुदायिक हाल, जीविका उपार्जन/उत्पादन केन्द्र, व्यवसायिक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, आवारा बच्चों के पुनर्वास हेतु केन्द्र, रेन बसेरा, वृद्धावस्था आश्रम जैसी उपलब्ध सुविधाओं की संख्या कोड में दर्ज की जाएगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 33 क | वृद्धावस्था पेंशन | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रहे वृद्धावस्था पेंशनधारियों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 33 ख | विधवा पेंशन | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रही विधवा पेंशनधारी महिलाओं की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 33 ग | विकलांग पेंशन | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रहे विकलांग पेंशनधारियों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 33 घ | सामान्य बीमा | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या दर्ज की जाएगी जो सामान्य बीमा के अधीन हैं। |
| 33 ड. | स्वास्थ्य बीमा | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रहे ऐसे व्यक्तियों की संख्या दर्ज की जाएगी जो स्वास्थ्य बीमा के अधीन हैं। |
| 34 | स्वयंसेवी ग्रुप/डीडब्ल्यूसीयूए ग्रुप | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में मौजूद/सक्रिय स्वयंसेवी ग्रुपों/डीडब्ल्यूसीयूए ग्रुपों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 35 | थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियां | सर्वेक्षण के अधीन स्लम में मौजूद/सक्रिय थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसायटियों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 36 क | स्लमवासी एसोसिएशन | इस बात का पता लगाया जाएगा कि क्या स्लम की स्थिति को सुधारने के लिये कोई स्लमवासी एसोसिएशन है। यदि स्लमवासियों ने ऐसी कोई एसोसिएशन बनाई है तो कोड 01 दर्ज किया जाएगा नहीं तो कोड 02 दर्ज किया जाएगा। |
| 36 ख | यूवा एसोसिएशन | स्लम में विभिन्न कार्यकलापों के लिये यूवा आबादी द्वारा बनाई गई यूवा एसोसिएशन की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 36 ग | महिला एसोसिएशन और महिला समितियां | स्लम में मौजूद/सक्रिय महिला एसोसिएशन की संख्या दर्ज की जाएगी। |

**ब्लॉक ग : अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकता**

सर्वेक्षण के अधीन स्लम के लिये अनुमानित लागत सहित अतिरिक्त अवसरंचना सुविधाओं की आवश्यकता नगरपालिका इंजीनियर/कार्यकारी अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी।

——————————————————————————————————————————

————————

## अनुबंध–ष
## (विस्तृत परिवार सर्वेक्षण)

**अनुबंध–ष के प्रचार करने हेतु सामान्य अनुदेश : परिवार गरीबी सर्वेक्षण**

**परिवारों को सूचीबद्ध करना :** अनुबंध–। के प्रचार के बाद अगला कदम सर्वेक्षण के अधीन स्लम में रह रहे सभी परिवारों (स्थानीय जांच के जरिये अस्थायी रूप से रह रहे परिवारों सहित) को निम्नलिखित फार्मेट में सूचीबद्ध किया जाएगा।

**स्लम का नाम :**

**कवरेज** : सर्वेक्षण के अधीन किसी स्लम विशेष की सीमाओं के भीतर रह रहे प्रत्येक परिवार से संबंधित सूचना अनुबंध–।। के माध्यम से एकत्र की जाएगी।

| क.सं. | अवस्थिति :<br>–वार्ड सं./नाम | मकान/फ्लैट/गेट सं. | परिवार के मुख्यिा का नाम |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**सूचना का स्रोत :** यह सूचना परिवार के मुखिया अथवा परिवार में किसी पढ़े–लिखे व्यक्ति का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी। अधिकांश मदों से संबंधित सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। कोड अनुसूची में उल्लिखित हैं।

**परिवार का मुखिया :** परिवार का मुखिया वह व्यक्ति है जिसे परिवार द्वारा मुखिया बनाया गया है। परिवार का मुखिया सामान्यतः वह व्यक्ति है जो परिवार को संभालने के दायित्व का निर्वाह करता है और यह जरूरी नहीं है कि परिवार का प्रधान कमाऊ सदस्य हो।

## अनुसूची की संरचना

सर्वेक्षण के अधीन स्लम विशेष की सीमाओं में रह रहे प्रत्येक परिवार से संबंधित सूचना अनुबंध–।। के जरिये एकत्र की जाएगी। यह अनुसूची सर्वेक्षण के अधीन स्लम की परिवार स्तरीय सूचना दर्ज करने के लिये है। निम्नलिखित पांच ब्लॉकों में सूचना एकत्र करने के उद्देश्य से अनुबंध–।। बनाया गया है :

ब्लॉक I रू सामान्य सूचना
ब्लॉक II रू परिवार स्तरीय सामान्य सूचना
ब्लॉक III रू परिवार स्तरीय विस्तृत सूचना
ब्लॉक प्ट रू परिवार के अप्रवास ब्यौरे, यदि लागू हो
ब्लॉक ट रू परिवार के आय–व्यय का ब्यौरा

### ब्लॉक I : सामान्य सूचना

सर्वेक्षण के अधीन परिवार विशेष के संबंध में सूचना एकत्र की जाएगी।

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 1 | स्लम का नाम | स्लम का नाम जहां सर्वेक्षण के अधीन परिवार विशेष रहता है, इस मद के अधीन दर्ज किया जाएगा। |
| 2 | अवस्थिति | वार्ड का नाम और संख्या, जहां सर्वेक्षण के अधीन परिवार विशेष रहता है, इस मद के अधीन दर्ज किया जाएगा। |
| 3 | मकान/फ्लैट/डोर सं. | सर्वेक्षण के अधीन परिवार के मकान/फ्लैट/डोर सं. इस मद के सामने दर्ज की जाएगी। |

### ब्लॉक II : परिवार स्तरीय सामान्य सूचना

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 4 | परिवार के मुखिया का नाम | सर्वेक्षण के अधीन परिवार के मुख्यिा का नाम दर्ज किया जाएगा।<br><br>टिप्पणी : परिवार का मुखिया वह व्यक्ति है जिसे परिवार द्वारा मुखिया बनाया गया है। परिवार का मुखिया सामान्यतः वह व्यक्ति है जो परिवार को संभालने के दायित्व का निर्वाह करता है और यह जरूरी नहीं है कि परिवार का प्रधान कमाऊ सदस्य हो। |
| 5 | पिता का नाम | परिवार के मुखिया के पिता का नाम दर्ज किया जाएगा। |
| 6 | लिंग | इस मद में यह सूचना कोड में दर्ज की जाएगी कि परिवार का मुखिया स्त्री है या पुरूष है। यदि परिवार का मुखिया पुरूष है तो कोड 1 दर्ज किया जाएगा और यदि परिवार का मुखिया स्त्री है तो कोड 2 दर्ज किया जाएगा। यदि परिवार का मुखिया किन्नर है तो कोड 1 दर्ज किया जाएगा। |
| 7 | जाति | क्या परिवार का मुखिया सामान्य जाति, अनु. जाति, अनु. जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग का है, इस बात का उल्लेख इस मद के कोड के सामने किया जाएगा। |
| 8 | धर्म | परिवार का धर्म इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। यदि परिवार के अलग–अलग सदस्य यह दावा करते हैं कि वे अलग–अलग धर्मों को मानते हैं तो परिवार के मुखिया के धर्म को परिवार का धर्म माना जाएगा। |
| 9 | अल्पसंख्यक हैसियत | परिवार के मुखिया की अल्पसंख्यक हैसियत इस |

| | | |
|---|---|---|
| | | मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। कोड 1 दर्ज किया जाएगा, यदि परिवार का मुखिया राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में किसी अल्पसंख्यक समुदाय का सदस्य नहीं है, अन्यथा कोड 2 दर्ज किया जाएगा। |
| 10 | यदि परिवार की मुखिया महिला है तो उसकी हैसियत | यदि अनुसूची की मद सं. 6 में कोड 2 लागू होता है अर्थात् यदि परिवार की मुखिया महिला है तो परिवार की महिला मुखिया की हैसियत कोड 2 में दर्ज की जाएगी। |
| 11 | परिवार के सदस्यों की संख्या | परिवार के पुरूष–महिला तथा कुल सदस्यों की संख्या इस मद के सामने दर्ज की जाएगी।<br><br>टिप्पणी : ''परिवार के सदस्य'' से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है, जो एक मकान में, एक मुखिया अथवा प्रबंधक के अधीन, रहते हैं; परिवार में पति/पत्नी, उनके माता–पिता, बच्चे, भाई–बहिन तथा उनके पति–पत्नी, कोई और सगे–संबंधी तथा परिवार के घनिष्ठ मित्र जो पारिवारिक संबंधों के समतुल्य हों। |
| 12 | निरक्षर प्रौढ़ सदस्यों की संख्या | 14 वर्ष से अधीक आयु के परिवार के निरक्षर पुरूष तथा महिला सदस्यों की संख्या इस मद के सामने दर्ज की जाएगी। |
| 13 | 6 से 14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों की संख्या जो स्कूल नहीं जाते हैं | परिवार के 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के ऐसे बालक–बालिकाओं की संख्या इस मद के सामने दर्ज की जाएगी जो स्कूल नहीं जाते हैं। |
| 14 | विकलांग व्यक्तियों की संख्या | परिवार में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या इस मद के सामने दर्ज की जाएगी। |
| 15 | यदि, प्रमुख कमाऊ | यदि परिवार का प्रमुख कमाऊ सदस्य महिला है |

| | | |
|---|---|---|
| | सदस्य महिला है तो आय अर्जक महिला की हैसियत | तो उसकी हैसियत इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 16 | क्या परिवार गरीबी रेखा के नीचे है? | सर्वेक्षण के अधीन परिवार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अधिसूचना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे है तो उसकी सूचना इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 17 | यदि उपर्युक्त 16 में से 01 है तो क्या परिवार के पास बीपीएल कार्ड है | यदि परिवार के पास बीपीएल कार्ड है तो ''हां'' दर्ज किया जाएगा अन्यथा ''नहीं'' दर्ज किया जाएगा। |

## ब्लॉक III : परिवार स्तरीय विस्तृत सूचना

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 18 | भूमि टेन्योर की स्थिति | परिवार की भूमि टेन्योर की स्थिति इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। कोड इस प्रकार हैं : पट्टा–01, कब्जा प्रमाण–पत्र/कब्जा अधिकार–02, अतिक्रमित निजी भूमि–03, अतिक्रमित सरकारी भूमि–04, किराये पर–05, अन्य–49 |
| 19 | मकान की किस्म/ढांचा | मकान की किस्म/ढांचा जिसमें वर्तमान में परिवार रह रहा है, से संबंधित सूचना इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। कोड इस प्रकार हैं : पक्का–01, कच्चा–पक्का–02, कच्चा–03<br><br>टिप्पणी :<br>**पक्का ढांचा :** पक्का ढांचा वह ढांचा है जिसकी दीवारें और छतें पक्की सामग्री जैसा कि सीमेंट, कंक्रीट, पक्की ईंटों, खोखली सीमेंट/ऐश ईंटों, पत्थरों, पत्थर के ब्लॉकों, जैक बोर्डों (सीमेंट से |

प्लास्टर किये हुए), लोहे, जिंक अथवा अन्य धातु की चद्दरों, ईमारती लकड़ी, टायलों, स्लेट, नालीदार लोहे, ऐसबेस्टोज सीमेंट की चद्दरों, वीनीर, प्लाईवुड, सिंथेटिक सामग्री से बनी कृत्रिम लकड़ी, पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) सामग्री से बनी हुई हों।

**कच्चा ढांचा** : कच्चा ढांचा वह ढांचा है जिसकी दीवारें और छतें कच्ची सामग्री से बनी हों। कच्ची सामग्री में कच्ची ईंटें, बांस, गारा, घास–फूस, सरकण्डे, छप्पर आदि शामिल हैं।

**कच्चा–पक्का ढांचा** : कच्चा–पक्का ढांचा वह ढांचा है जिसे न तो पक्का और न ही कच्चा ढांचा कहा जा सकता है। ऐसे ढांचे की दीवार अथवा छत में से कोई एक पक्की सामग्री की बनी हुई होगी।

| | | |
|---|---|---|
| 20 | छत का प्रकार | मकान जिसमें परिवार इस समय रह रहा है उसकी छत का प्रकार इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। कोड इस प्रकार हैं : घास–फूस–01, तिरपाल–02, लकड़ी–03, एबेस्टोस–04, खपरेल–05, सीमेंट/स्लैब–06, अन्य–49 |

टिप्पणी :

- छत की सामग्री का निर्धारण करने के लिये उस सामग्री को देखा जाएगा जिससे छत का ऊपरी भाग न की अंदरूनी भाग बना है।

| | | |
|---|---|---|
| | | ➢ यदि छत के विभिन्न हिस्से अलग–अलग सामग्री से बनाये गये हैं तो छत के प्रकार का निर्धारण रिहायशी एकक की छत के अधिकांश भाग में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर किया जाएगा।<br>➢ अन्य में, छत के वे सभी प्रकार शामिल होंगे जो कोड 01 से 06 में से किसी के अधीन नहीं आते हों। |
| 21 | फर्श का प्रकार | मकान जिसमें परिवार वर्तमान में रह रहा है उसके फर्श का प्रकार इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। कोड इस प्रकार हैं : गारा–01, ईंट–02, पत्थर–03, सीमेंट–04, टायल्स–05, अन्य–49<br><br>टिप्पणी :<br>➢ यदि रिहायशी एकक के फर्श के विभिन्न भाग अलग–अलग सामग्रियों से बनाये गये हों तो फर्श के प्रकार का निर्धारण फर्श के अधिकांश क्षेत्र में प्रयुक्त सामग्री के आधार पर किया जाएगा।<br>➢ अन्य में, फर्श के वे अन्य सभी प्रकार शामिल होंगे जो कोड 01 से 05 में से किसी के अधीन नहीं आते हों। |
| 22 | मकान में प्रकाश व्यवस्था | मकान जिसमें परिवार वर्तमान में रह रहा है, में वर्तमान प्रकाश व्यवस्था की किस्म इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। कोड इस प्रकार हैं : विद्युत कनेक्शन–01, मिट्टी का तेल–02, लकड़ी–03, अन्य–49 |

| | | |
|---|---|---|
| | | टिप्पणी :<br>➢ यदि मकान में प्रकाश का स्रोत एक से अधिक है तो प्रयोग की सीमा के आधार पर प्राथमिक अथवा प्रधान प्रकाश व्यवस्था का पता लगाया जाएगा और तदनुसार कोड समुचित खाने में नोट किया जाएगा।<br>➢ बिजली का उपयोग कानून अथवा गैर–कानूनी रूप से किया जा रहा है और विद्युत की आपूर्ति परिवार को या तो सार्वजनिक एजेंसियों, निगमों अथवा निजी आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा की जा रही है। तथापि, यदि परिवार जेनेरेटर अथवा सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली उत्पादन हेतु अपनी व्यवस्था करता है तो उस परिवार के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसके पास घरेलू उपयोग हेतु बिजली है।<br>➢ अन्य में, वे सभी व्यवस्थाएं शामिल होंगी जो कोड 01 से 03 में से किसी कोड के अधीन नहीं आती हों। |
| 23 | खाना पकाने के लिये ईंधन का उपयोग | परिवार द्वारा खाना पकाने के लिये उपयोग किये जा रहे ईंधन की किस्म इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी।<br><br>कोड इस प्रकार हैं : गैस–01, बिजली–02, मिट्टी का तेल–03, कच्चा कोयला–04, ईंधन की लकड़ी–05, अन्य–49<br><br>टिप्पणी : |

| | | |
|---|---|---|
| | | ➢ यदि खाना पकाने के लिये एक से अधिक प्रकार के ईंधनों का उपयोग किया जाता है तो अधिकांश रूप से प्रयोग किये जाने वाले ईंधन को दर्ज किया जाएगा।<br>➢ अन्य में ईंधन के वे सभी अन्य प्रकार शामिल हैं जो कोड 01 से 05 में से किसी के भी अधीन नहीं आते हों। |
| 24 क | पेयजल का स्रोत | परिवार द्वारा अधिकतर उपयोग किये जा रहे पेयजल का स्रोत इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| 24 ख | यदि पाइप्ड जल आपूर्ति की व्यवस्था है तो आपूर्ति की अवधि | यदि परिसर के भीतर नल द्वारा अथवा परिसर के बाहर सार्वजनिक नल द्वारा पाइप्ड जल की आपूर्ति की जाती है तो जल आपूर्ति की अवधि का उल्लेख इस मद के सामने कोड में किया जाएगा। |
| 25 | यदि जल की आपूर्ति परिसर के बाहर है तो पेयजल स्रोत की आवास से दूरी | यदि पेयजल स्रोत सुविधा परिवार के परिसर के बाहर स्थित है तो पेयजल स्रोत की आवास से दूरी का पता लगाया जाएगा और उचित दूरी कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 26 | शौचालय सुविधा | परिवार के लिये मौजूदा शौचालय सुविधा कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 27 | स्नानागार सुविधा | परिवार के लिये मौजूदा स्नानागार सुविधा कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 28 | मकान के सामने सड़क | मकान के सामने सड़क की किस्म इस मद के सामने कोड में दर्ज की जाएगी। |
| 29 | पूर्व स्कूल सुविधा की किस्म | उपलब्ध प्राथमिक पूर्व स्कूल सुविधा का प्रकार तथा परिवार के बच्चों द्वारा उपयोग किये जाने वाली सुविधा का पता लगाया जाएगा और उसे उचित कोड में दर्ज किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 30 | उपलब्ध प्राथमिक स्कूल का प्रकार | उपलब्ध तथा परिवार के बच्चों द्वारा उपयोग किये जा रहे प्राथमिक स्कूल के प्रकार का पता लगाया जाएगा और उसे उचित कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| 31 | उपलब्ध उच्च स्कूल का प्रकार | उपलब्ध तथा परिवार के बच्चों द्वारा उपयोग किये जा रहे उच्च स्कूल के प्रकार का पता लगाया जाएगा और उसे उचित कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| 32 | उपलब्ध स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था | उपलब्ध स्वास्थ्य देखरेख व्यवस्था तथा परिवार द्वारा उपयोग की जा रही स्वास्थ्य देखरेख सुविधा के प्रकार का पता लगाया जाएगा और उसे उचित कोड में दर्ज किया जाएगा।<br><br>टिप्पणी : यदि एक से अधिक प्रकार की स्वास्थ्य देखरेख सुविधा उपलब्ध है तो अधिकांश रूप से प्रयोग की जानी वाली सुविधाएं दर्ज की जाएंगी। |
| 33 | परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कल्याण लाभों का उपयोग | परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा कल्याण लाभों के उपयोग को इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। यदि एक से अधिक लाभ उपलब्ध हैं तो उस कल्याणकारी लाभ को दर्ज किया जाएगा जिसका उपयोग अधिकांश रूप से किया जाता है। |
| 34 | उपभोक्ता वस्तुएं | इस मद में अनेक उपभोक्ता वस्तुएं सूचीबद्ध हैं। यह पता लगाया जाना चाहिये कि क्या परिवार के पास यह हैं अथवा नहीं। यदि हैं, तो हैं तो कोड 01 और यदि नहीं हैं तो कोड 02 दर्ज किया जाएगा। |
| 35 | पशुधन | इस मद में अनेक पालतू पशु सूचीबद्ध हैं। यह पता लगाया जाना है कि क्या परिवार इन पालतू |

| | | |
|---|---|---|
| | | पशुओं का रख रहा है अथवा नहीं। यदि हां, तो कोड 01 दर्ज किया जाएगा अन्यथा कोड 02 दर्ज किया जाएगा। |

## ब्लॉक प्ट : परिवार के प्रवास का ब्यौरा, यदि लागू हो

यह ब्लॉक परिवार के प्रवास के ब्यौरे को दर्ज करने के लिये है, यदि लागू है तो।

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 36 | इस कस्बे/नगर में कितने वर्ष से रह रहा है | परिवार इस नगर में कितने वर्ष से रह रहा है उसका पता लगाया जाएगा और उसे इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| 37 | कहां से आया है | यह पता लगाया जाएगा कि क्या परिवार ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र से इस नगर में आया है और उचित कोड दर्ज किया जाएगा। |
| 38 | प्रवास की किस्म | यह पता लगाया जाएगा कि क्या प्रवास मौसमी अथवा स्थायी है और उचित कोड दर्ज किया जाएगा।<br><br>टिप्पणी :<br>➢ मौसमी प्रवास स्थायी स्वरूप का है अर्थात् अपेक्षाकृत कम अवधि के लिये। |
| 39 | प्रवास के कारण | परिवार के प्रवास के कारणों को इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। |

## ब्लॉक ट : परिवार की आय–व्यय का ब्यौरा

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| 40 | कमाऊ प्रौढ़ सदस्यों की संख्या | परिवार के प्रौढ़ पुरूष तथा महिला सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 41 | परिवार के बेरोजगार प्रौढ़ सदस्यों की संख्या | परिवार के बेरोजगार प्रौढ़ पुरूष तथा महिला सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी। |
| 42 | परिवार की औसत | परिवार के पिछले तीन महीनों (सर्वेक्षण की तारीख |

| | | |
|---|---|---|
| | मासिक आय (रूपए में) | से) की औसत आय रूपयों में दर्ज की जाएगी। |
| 43 | परिवार का औसत मासिक खर्च (रूपए में) | परिवार के पिछले तीन महीनों (सर्वेक्षण की तारीख से) का औसत खर्च रूपयों में दर्ज किया जाएगा। |
| 44 | सर्वेक्षण की तारीख को बकाया ऋण (रूपए में) | सर्वेक्षण की तारीख को परिवार द्वारा देय बकाया ऋण (रूपयों में) दर्ज किया जाएगा। |
| 45 | परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान | परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान उचित खाने में लिया जाएगा। |

## अनुबंध—III
## (विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण)

**अनुबंध—III के प्रचार करने हेतु सामान्य अनुदेश : विस्तृत आजीविका सर्वेक्षण**

कवरेज : सर्वेक्षण के अधीन परिवार के प्रत्येक रोजगार प्राप्त और बेरोजगार सदस्य के संबंध में सूचना अनुबंध–।।। के माध्यम से एकत्र की जाएगी।

**सूचना का स्रोत :** यह सूचना परिवार के मुखिया अथवा एक अथवा एक से अधिक पढ़े–लिखे व्यक्तियों का साक्षात्कार लेकर एकत्र की जाएगी। अधिकांश मदों के संबंध में सूचना कोड में दर्ज की जाएगी। जहां कहीं लागू है कोड अनुसूची में उल्लिखित हैं।

### अनुसूची की संरचना

सर्वेक्षण के अधीन परिवार के प्रत्येक सदस्य (चाहे वह रोजगार प्राप्त हो अथवा बेरोजगार हो) के संबंध में सूचना अनुबंध–।।। के माध्यम से एकत्र की जाएगी। यह अनुसूची सर्वेक्षण के अधीन परिवार के सदस्यों के अर्जन के स्रोत को दर्ज करने के लिये है। इस प्रकार परिवार के उन सदस्यों के बारे में सूचना इस सर्वेक्षण की परिधि में नहीं आएगी जो अभी पढ़ रहे हों। अनुबंध–।।। को निम्नलिखित ब्लॉकों में सूचना एकत्र करने हेतु तैयार किया गया है :

ब्लॉक I रू परिवार के कमाऊ सदस्यों का ब्यौरा

ब्लॉक II रू अर्जन/आजीविका उपार्जन का स्रोत

ब्लॉक प्प्प् रू परिवार के बेरोजगार सदस्यों को रोजगार न मिलने के मुख्य कारण

ब्लॉक प्ट रू प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन हेतु पसंद का क्षेत्र

ब्लॉक ट रू प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में सुझाव

ब्लॉक टप् रू प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के आयोजन के बाद कार्यकलापों के बारे में सुझाव

———————————————————————————————————————

## ब्लॉक प् : परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्यों का ब्यौरा

ब्लॉक । सर्वेक्षण के अधीन परिवार के प्रत्येक रोजगार प्राप्त/कमाऊ सदस्य के संबंध विस्तृत सूचना एकत्र करने के लिये है।

### 1 क : सामान्य ब्यौरा

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| कॉलम 1 | क्र.सं. | क्र.सं. वाली प्रत्येक लाइन परिवार के उस एक सदस्य के ब्यौरे दर्ज करने के लिये है जिसके लिये कॉलम 2 से 14 में सूचना एकत्र की जा रही है। |
| कॉलम 2 | नाम | परिवार के उस सदस्य का नाम दर्ज किया जाएगा जिसके लिये कॉलम 2 से 14 में सूचना एकत्र की जा रही है। |
| कॉलम 3 | परिवार के मुख्यिा से संबंध | परिवार के मुखिया के साथ परिवार के सदस्य का संबंध इस मद के सामने दर्ज किया जाएगा। |
| कॉलम 4 | आयु | परिवार के उस सदस्य की आयु दर्ज की जाएगी जिसके संबंध में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं। |
| कॉलम 5 | स्त्री/पुरूष | परिवार के उस सदस्य के बारे में यह सूचना जिसके ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं, कोड में दर्ज की जाएगी कि क्या का वह सदस्य स्त्री है या पुरूष। |

| | | |
|---|---|---|
| कॉलम 6 | जाति | परिवार के उस सदस्य की जाति कोड में दर्ज की जाएगी जिसके ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं। |
| कॉलम 7 | धर्म | परिवार के उस सदस्य का धर्म कोड में दर्ज किया जाएगा जिसके ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं। |

**1 ख : शिक्षा एवं प्रशिक्षण**

| **मद सं0** | **मद का नाम** | **इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश** |
|---|---|---|
| कॉलम 8 | शैक्षिक योग्यता | परिवार के उस सदस्य की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कोड में दर्ज की जाएगी जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं।<br><br>टिप्पणी :<br>➢ ऐसी सभी प्रकार की शैक्षिक योग्यताएं शामिल होंगी जो कोड 01 से 07 में से किसी के अधीन नहीं आती हैं। |
| कॉलम 9 | प्राप्त कौशल प्रशिक्षण | यदि परिवार के उस सदस्य ने जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं, पहले से ही कुछ कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो सूचना कोड में दर्ज की जाएगी।<br><br>टिप्पणी :<br>➢ अन्य में यदि कोई कौशल प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो कोड 99 लागू होगा।<br>➢ अन्य में वे सभी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण लागू होंगे जो कोड 01 से 07 में से किसी के अधीन नहीं आते हैं।<br>➢ यदि एक से अधिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो उस कौशल प्रशिक्षण का |

| | | |
|---|---|---|
| | | पता लगाया जाएगा जो उसके वर्तमान रोजगार से सम्बद्ध है तथा तदनुसार कोड दर्ज किया जाएगा। |
| कॉलम 10 | उस संस्था का प्रकार जिससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया | यदि परिवार के सदस्य ने पहले ही कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो उस संस्थान का प्रकार कोड में दर्ज किया जाएगा जिससे कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया हो।<br><br>टिप्पणी :<br>➢ अन्य में प्रशिक्षण संस्थानों के वे सभी प्रकार शामिल होंगे जो कोड 01 से 04 में से किसी के अधीन नहीं आते हैं। |

**1 ग : रोजगार एवं आय**

| **मद सं0** | **मद का नाम** | **इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश** |
|---|---|---|
| कॉलम 11 | रोजगार स्थिति | जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं परिवार के उस सदस्य का वर्तमान रोजगार कोड में दर्ज किया जाएगा।<br><br>टिप्पणी :<br>➢ अन्य में वे सभी प्रकार के रोजगार शामिल हैं जो कोड 01 से 04 के अधीन किसी में भी नहीं आते हैं। |
| कॉलम 12 | कार्य का स्थान | जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं परिवार के उस सदस्य के वर्तमान कार्य स्थल की दूरी का पता लगाया जाएगा और उसके संबंध में उचित कोड दर्ज किया जाएगा। |
| कॉलम 13 | कार्य का समय | जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं परिवार के उस सदस्य के वर्तमान रोजगार का कार्य समय कोड में दर्ज किया जाएगा। |

| | | |
|---|---|---|
| कॉलम 14 | मासिक आय | जिसके बारे में ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं परिवार के उस सदस्य की औसत मासिक आय कोड में दर्ज की जाएगी। |

## ब्लॉक पप : आय/आजीविका का स्रोत

**प्राथमिक व्यवसाय :** वह आर्थिक कार्यकलाप जिसे वह अपेक्षाकृत अधिक समय से अपनी आजीविका कमाने के लिये कर रहा है।

**गौण व्यवसाय :** ऐसा आर्थिक कार्यकलाप व्यक्ति अपेक्षाकृत कम अवधि या गौण अवधि के लिये कर रहा है और जो आजीविका कमाने हेतु उसके प्रमुख व्यवसाय के अतिरिक्त है।

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| । | आय अर्जन करने वाले पुरूष | परिवार के आय अर्जन करने वाले मुख्य पुरूष सदस्यों के प्राथमिक तथा गौण व्यवसाय को कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| ।। | आय अर्जन करने वाली महिलाएं | परिवार की आय अर्जन करने वाली मुख्य महिला सदस्यों के प्राथमिक तथा गौण व्यवसाय को कोड में दर्ज किया जाएगा। |

## ब्लॉक पपप : परिवार के बेरोजगार सदस्यों की बेरोजगारी के मुख्य कारण

परिवार के बेरोजगार सदस्यों की बेरोजगारी का मुख्य कारण इस मद के सामने कोड में दर्ज किया जाएगा। यदि वर्तमान बेरोजगारी का एक से अधिक कारण है तो अत्यधिक प्रासंगिक कारण का पता लगाया जाएगा और उसके लिये उचित कोड दर्ज किया जाएगा।

## ब्लॉक पट : प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन हेतु पसंद का क्षेत्र

| मद सं0 | मद का नाम | इस मद का प्रचार करने हेतु अनुदेश |
|---|---|---|
| । | आय अर्जित करने वाले पुरूष | परिवार के आय अर्जित करने वाले मुख्य पुरूष सदस्यों के प्राथमिक और गौण व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण/कौशल विकास हेतु पसंद के क्षेत्र को |

| | | |
|---|---|---|
| | | उचित खानों में कोड में दर्ज किया जाएगा। |
| ।। | आय अर्जित करने वाली महिलाएं | परिवार की आय अर्जित करने वाली मुख्य महिला सदस्यों के प्राथमिक और गौण व्यवसायों के लिये प्रशिक्षण/कौशल विकास हेतु पसंद के क्षेत्र को उचित खानों में कोड में दर्ज किया जाएगा। |

## ब्लॉक ट : प्रशिक्षण देने/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में सुझाव

सर्वेक्षण के अधीन परिवार के सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण देने/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में दिये गये सुझावों का सार अधिक से अधिक 100 शब्दों में दर्ज किया जाएगा।

## ब्लॉक टप : प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के बाद के कार्यकलापों के बारे में दिये गये सुझाव

प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन कार्यक्रमों के बाद के कार्यकलापों के बारे में यथा स्वरोजगार, बाजार आधारित रोजगार आदि के संबंध में परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को अधिक से अधिक 100 शब्दों में दर्ज किया जाएगा।